संख्या-14/2016/ 64/1-4--2016-1 बी-4/16

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद उ0 प्र0,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 04 अप्रैल, 2016**

विषय:-अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-101-आयुक्त-03-मुख्य कार्यालय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की वित्तीय स्वीकृत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-101-आयुक्त-03-मुख्य कार्यालय के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में आय-व्ययक में प्राविधिनित धनराशि के सापेक्ष **कुल रू0-43,57,50,000/- (रूपये तेंताली करोड सत्तावन लाख पचास मात्र)** की धनराशि मतदेय पक्ष में तथा **रू0-2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र)** की धनराशि भारित मद में जिसका मदवार विवरण निम्नलिखित है, को वित्त विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-:

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	**वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि**	**वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि**
01-वेतन	160000	160000
02-मजदूरी	300	300
03-मंहगायी भत्ता	217600	217600
04-यात्रा व्यय	2000	2000
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2000	2000
06-अन्य भत्ते	13000	13000
08-कार्यालय व्यय	6000	6000
09-विद्युत देय	9000	9000
10-जलकर/जलप्रभार	150	150
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1200	1200
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2000	2000
13-टेलीफोन पर व्यय	2800	2800
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	12000	12000
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	200	200
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	1000	1000
42-अन्य व्यय (मतदेय) (भारित)	50 200	50 200
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	1000	1000
45-अवकाश यात्रा व्यय	800	800

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://sh sanadesh.up.nic.in

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	900	900
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1000	1000
49-चिकित्सा व्यय	2500	2500
51-वर्दी व्यय	250	250
योग-03 (मतदेय) (भारित)	435750 (रूपये तेंताली करोड सत्तावन लाख पचास मात्र) 200 (रूपये दो लाख मात्र)	435750 (रूपये तेंताली करोड सत्तावन लाख पचास मात्र) 200 (रूपये दो लाख मात्र)

2- उक्त धनराशि प्रदेश के समस्त जनपदों को विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत आवंटित करने हेतु आपके निर्वतन पर रखी जाती हैा

3- उक्त आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय न किया जाय। साथ ही साथ मदों के क्रियान्वयन में व्यय हेतु धन आवंटित करते समय व्यय स्वीकृत धनराशि की भीतर ही सीमित रखा जाय और बजट मैनुअल में निहित वित्तीय निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की सहमति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृत अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में दिये गये प्राविधानानुसार किये जाने वाला व्यय कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। इस संबंध में बी0एम0-13 प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रतिमाह सूचना दो प्रतियों मे शासन को अवश्य उपलब्ध करायी जाये।

6- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

7- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-101-आयुक्त-03-मुख्य कार्यालय के अन्तर्गत सुसंगत मदो व प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-14/2016 /64(1) /1-4-16-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परिक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
5- राजस्व अनुभाग-6
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in